संख्या-52/2018/718/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

जनजाति विकास,

उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च 2018

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-02-796-09 अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तथा रख-रखाव के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्र संख्या-427/ज.जा.वि./लेखा/2017-18 दिनांक-27.02.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2225-02-796-09-01- वेतन के मानक मद में धनराशि रू0-50.00 लाख (रू0 पचास लाख) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1)-उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/ डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-09-अनुसूचित जनजातियों के लिये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-01-वेतन के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-09 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-469/दस-2018, दिनांक-16.03.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृं0संख्या-52/2018/718(1)/26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–81– समाज कल्याण (जनजाति कल्याण) **वित्तीय वर्ष 2017–18** **(रूपये लाख में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण

लेखाशीर्षक–15 डिजिटल कोड में	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2225–02–796–09–41 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–09–अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तथा रख रखाव					
41–भोजन व्यय	443.25	233.38	50.00	50.00	393.25
योग	**443.25**	**233.38**	**50.00**	**50.00**	**393.25**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण

लेखाशीर्षक–15 डिजिट में	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2225–02–796–09–01 2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–09–अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तथा रख रखाव					
01–वेतन	295.36	345.36	50.00	50.00	345.36
योगः–	**295.36**	**345.36**	**50.00**	**50.00**	**345.36**

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :– प्रश्नगत योजनाओं में आवश्यकतानुसार धनराशि व्यय करने के उपरांत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्ययन हेतु जनजाति के निर्धारित छात्र संख्या के अनुसार विद्यालयों में समुचित व्यवस्था न होने के कारण छात्रों का प्रवेश न हो पाने के कारण बचत हो रही है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–प्रश्नगत योजना में मांग के अनुसार अपेक्षित बजट प्राप्त न होने के कारण धनराशि की आवश्यकता हो रही है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुवल के प्रस्तर–150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–469/ई–3– /दस– दिनांक–16 मार्च 2018

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

राम रतन
उप सचिव
वित्त विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0संख्या–52/2018/718/(1)/26–3–2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
8 निदेशक, एन0आई0सी0।
9 गार्डफाइल

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।